

मत्स्य निदेशालय
नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

अभिषेक रंजन, (मा०प्र०से०)
निदेशक मत्स्य।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)।

मत्स्य/पटना, दिनांक 19/11/2025

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी आधारभूत संरचना के विकास के लिए (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रशासनिक स्वीकृत योजना) व्यय हेतु स्वीकृत राशि (Central Share MOTHER SANCTION-II & Proportionate State Share) के विरुद्ध द्वितीय चरण में ₹2.5757 करोड़ राशि के आवंटित करने की स्वीकृति।

प्रसंग : वित्त विभाग का पत्रांक-ब०-15/बी०एस०जी०-57/25/410/वि०, दिनांक-12.06.2025, मत्स्य निदेशालय का आदेशांक संख्या-म०यो०/23/2024-2997 दिनांक-28.07.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में सूचित करना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-(i) 6एस०एस०(6)41/2021-4197 दिनांक-18.09.2025 (ii) 6एस०एस०(6)11/2020-4228 दिनांक-19.09.2025 (iii) 6एस०एस०(6)33/2022-4229 दिनांक-19.09.2025, (iv) 6एस०एस०(6)28/2022-4196 दिनांक-18.09.2025, (v) 6एस०एस०(6)33/2022-4230 दिनांक-19.09.2025 एवं (vi) 6एस०एस०(6)28/2024-4198, दिनांक-18.09.2025 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत कुल राशि ₹32.7089 करोड़ (₹19.625 करोड़ केन्द्रांश मदर सैंक्शन-II एवं ₹13.0839 करोड़ राज्यांश राशि) मात्र व्यय हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से द्वितीय चरण में ₹1.54542 करोड़ केन्द्रांश राशि तथा ₹1.03028 करोड़ राज्यांश अर्थात् कुल ₹2.5757 करोड़ राशि को आदेशांक संख्या-म०यो०/23/2024-2997 दिनांक-28.07.2025 के आलोक में इसी योजना के केन्द्रांश मद में व्यय हेतु लिमिट राशि को एस०एन०ए० स्पर्स प्रणाली में आवंटित किया जाता है (जिलावार आवंटित व्यय हेतु लिमिट राशि की विवरणी अनुलग्नक-I संलग्न)।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्कीम अंतर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत राशि का विकलन किया जाएगा -

- इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत लाभुक आधारित घटक के तहत अन्य (सामान्य) श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिला लाभुकों के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड-02.2405001010219 के विषय शीर्ष-0219.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित/आवंटित राशि से किया जाएगा।
- इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन-मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड-02.2405007890201 के विषय शीर्ष-0201.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित/आवंटित राशि से किया जाएगा।
- इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन-मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा

के. ए. ए.

योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007960201 के विषय शीर्ष-0201.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित/आवंटित से किया जाएगा।

- (iv) उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21-(2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 को छोड़कर) में केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम एवं अतिरिक्त चरण में प्रशासनिक स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत लाभुक आधारित घटक के तहत अन्य (सामान्य) श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को देय केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुदान (सब्सिडी) राशि का 60:40 अनुपात में विकलन विपत्र कोड-02-2405001010219 के विषय शीर्ष-0219.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. SNA SPARSH Module में केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का e-Payment-

इस केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत लाभार्थियों को देय (अनुमान्य) राज्यांश राशि की सम्पूर्ण राशि को इसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश विपत्र कोड-02.2405001010219 के विषय शीर्ष-0219.33.01-सब्सिडी मद, विपत्र कोड-02.2405007960201 के विषय शीर्ष-0201.33.01-सब्सिडी मद एवं विपत्र कोड-02.2405007960201 के विषय शीर्ष-0201.33.01-सब्सिडी मद में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित राशि से क्रमशः अन्य (सामान्य) श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिला लाभुकों, अनुसूचित जातियों के लाभुकों एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए e-Payment हेतु विपत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998 एवं 12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
 5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करेंगे, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
 6. वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
 7. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
 8. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।
 9. इस पत्र के माध्यम से आवंटित राशि का व्यय वर्तमान में राज्य में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के नियमों/दिशानिर्देशों को दृष्टिपथ में रखते हुए करना सुनिश्चित करेंगे।
- अनुलग्नक :- यथोपरि।

ज्ञापांक : म०/ बजट-12/2025.....66...../ मत्स्य/पटना, दिनांक : 19/11/2024...../ निदेशक मत्स्य
प्रतिलिपि : अनुलग्नक- I की प्रति के साथ महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : म०/ बजट-12/2025.....66...../ मत्स्य/पटना, दिनांक : 19/11/2024...../ निदेशक मत्स्य
प्रतिलिपि : अनुलग्नक- I की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : म०/ बजट-12/2025.....66...../ मत्स्य/पटना, दिनांक : 19/11/2024...../ निदेशक मत्स्य
प्रतिलिपि : अनुलग्नक- I की प्रति के साथ संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक (यो०)/पी0एम0एम0एस0वाई0 कोषांग, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : म०/ बजट-12/2025.....66...../ मत्स्य/पटना, दिनांक : 19/11/2024
प्रतिलिपि : अनुलग्नक- I की प्रति के साथ संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/ बजट-12/2025.....66...../ मत्स्य/पटना, दिनांक : 19/11/2024
प्रतिलिपि : अनुलग्नक- I की प्रति के साथ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/पी०एफ०एम०एस० राज्य निदेशालय, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार), ललित भवन, बेली रोड, पटना/आर०बी०आई०, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/ बजट-12/2025.....66...../ मत्स्य/पटना, दिनांक : 19/11/2024
प्रतिलिपि : अनुलग्नक- I की प्रति के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय योजना शाखा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/मत्स्य निदेशालय के बजट एवं लेखा शाखा/पी०एम०एम०एस०वाई० कोषांग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/ बजट-12/2025.....66...../ मत्स्य/पटना, दिनांक : 19/11/2024
प्रतिलिपि : अनुलग्नक- I की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/ बजट-12/2025.....66...../ मत्स्य/पटना, दिनांक : 19/11/2024
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

 Attn:

निदेशक मत्स्य

(अनुलग्नक-I)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी आधारभूत संरचना के विकास के लिए (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रशासनिक स्वीकृत) व्यय हेतु स्वीकृत राशि **(Central Share MOTHER SANCTION-II & proportionate State Share)** के विरुद्ध द्वितीय चरण में व्यय हेतु लिमिट राशि का केन्द्रांश मद में मांग संख्या-02 के अधीन आय-व्ययक मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00 के विभिन्न लघु एवं उप शीर्ष के तहत विषय शीर्ष सब्सिडी के अन्तर्गत जिलावार लिमिट राशि के आवंटन की विवरणी।

क्र०	जिला	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड			(राशि रूपया में)
		मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00,			कुल योग
		लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन	लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना	
		उपशीर्ष -0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405001010219	उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007890201	उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007960201	
		(अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों हेतु अनुदान क्रमशः 40 एवं 60 प्रतिशत)	(अनुसूचित जातियों के लाभुकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)	(अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)	
		0219-33.01 - सब्सिडी	0201-33.01 - सब्सिडी	0201-33.01 - सब्सिडी	
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1	पटना	2000000	1200000	0	3200000
2	नालंदा	1800000	500000	0	2300000
3	गया	1220000	2430000	0	3650000
4	औरंगाबाद	1913300	480900	0	2394200
5	जहानाबाद	800000	600000	0	1400000
6	अरवल	800000	400000	0	1200000
7	नवादा	0	142600	0	142600
8	मधुबनी	2366400	420000	0	2786400

ABLR

क्र०	जिला	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड			कुल योग
		मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00,			
		लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन	लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना	
		उपशीर्ष -0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405001010219	उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007890201	उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007960201	
		(अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों हेतु अनुदान क्रमशः 40 एवं 60 प्रतिशत)	(अनुसूचित जातियों के लाभुकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)	(अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान 60 प्रतिशत)	
		0219-33.01 - सब्सिडी	0201-33.01 - सब्सिडी	0201-33.01 - सब्सिडी	
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
9	समस्तीपुर	0	588000	0	588000
10	सारण	600000	100000	0	700000
11	सिवान	1200000	0	0	1200000
12	गोपालगंज	3950600	106600	0	4057200
13	शेखपुरा	600000	500000	0	1100000
14	भागलपुर	0	1038600	0	1038600
कुल योग		17250300	8506700	0	25757000
पुर्व में आवंटित		179727700	53489000	9503000	242719700
कुल स्वीकृत राशि		243084000	74502000	9503000	327089000
शेष राशि		46106000	12506300	0	58612300

निदेशक मत्स्य,
बिहार, पटना।